कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक–504 / 14–1, दिनांक, मुरादाबाद, अगस्त 14, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद–बरेली–लखनऊ(एन.एच0–24) मार्ग किमी0 163.00 से 164.00 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, रामपुर रोड़, तहसील व जिला मुरादाबाद के खसरा संख्या–196 / 03 में सिटी एनर्जी लि0 मुरादाबाद द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट (सी0एन0जी0) के सम्पर्क मार्ग निमार्ण हेतु 0.1009 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ :– आपकी पत्र संख्या–126 / मुरादाबाद / 23468 / 2017, दिनांक 18–07–2017.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक प्रस्ताव में आप द्वारा लगायी गई आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की है। अतः प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद से प्राप्त आख्या / संशोधित प्रस्ताव की 3 प्रतियां मूल में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित है :–

Observation No.	Observation Of Nodal	Reply
1	प्रस्तावित स्थल को पूर्ण टोपोशीट पर चिन्हित कर संलग्न नहीं किया गया है।	प्रस्तावित स्थल को पूर्ण टोपोशीट पर चिन्हित कर प्रस्ताव के पेज सं0 21 पर चस्पा कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रभागीय निदेशक, की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन भूमि की श्रेणी अंकित नहीं की गई है।	प्रभागीय निदेशक की संशोधित निरीक्षण आख्या में वन भूमि की श्रेणी अंकित कर प्रस्ताव के पेज सं0 41 पर चस्पा कर दी गई है।
3	प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तावित वन भूमि की गणना में क्षेत्रफल –0.100868 है0 है, किन्तु प्रस्ताव 0.1008 है0 संरक्षित वन भूमि का प्रस्तुत किया गया है जो सुसंगत नहीं है।	प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि की गणना में क्षेत्रफल –0.1009 है0 दर्शाया गया है, जिसका प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पेज सं0 23 (1) पर चस्पा कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव के साथ संलग्न उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति का प्रथम पृष्ठ सत्यापित नहीं है।	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति का प्रथम पृष्ठ सत्यापित कर दिया गया है। जो प्रस्ताव के पेज सं0 61 पर चस्पा कर दिया गया है।
5	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को फुल टोपोशीट पर चिन्हित कर संलग्न नहीं किया गया है।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को फुल टोपोशीट पर चिन्हित कर प्रस्ताव के पेज सं0 34 पर चस्पा कर दिया गया है।
6	लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति का प्रथम पृष्ठ सत्यापित नहीं है।	लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति का प्रथम पृष्ठ सत्यापित कर दिया गया है। जो प्रस्ताव के पेज सं0 57 पर चस्पा कर दिया गया है।
7	वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र में क्षेत्रफल के साथ वन भूमि की श्रेणी अंकित नहीं है।	वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के संशोधित प्रमाण पत्र में क्षेत्रफल के साथ वन भूमि की श्रेणी अंकित कर प्रस्ताव के पेज सं0 45 पर चस्पा कर दिया गया है।
8	प्रस्तावित वन भूमि के डिजिटल मैप में समस्त कीपोईन्ट के अक्षॉश व देशान्तर अंकित नहीं है।	प्रस्तावित वन भूमि के डिजिटल मैप में समस्त कीपोईन्ट के अक्षॉश व देशान्तर अंकित कर प्रस्ताव के पेज सं0 20 पर चस्पा कर दिया गया है।
9	ऑनलाईन एवं आफलाईन पार्ट –1 में अंकित परियोजना की लागत एवं सृजित होने वाले रोजगार की सं0 भिन्न–2 है। आर्फलाईन पार्ट –1 को प्रस्ताव से पृथक कर दे। इसकी आवश्यकता नहीं है।	आर्फलाईन पार्ट –1 को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
10	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 –50 पर संलग्न उपयुक्ता प्रमाण पत्र औचित्यपूर्ण नहीं है। इसे प्रस्ताव से पृथक कर दें।	प्रस्ताव में संलग्न उपयुक्ता प्रमाण पत्र को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
11	विषय सूची को संशोधित करें।	विषय सूची संशोधित कर दी गई है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या / 14–1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि :– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद को उनके पत्रांक दिनांक 11–08–2017 के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र / तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।